आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

पंजीकृत कार्यालय–इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात– 362266
कॉर्पोरेट कार्यालय: आर टेक पार्क, 12वीं मंजिल निरलॉन कॉम्प्लेक्स, हबमॉल के पास, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई–400 063,

कब्जे की सूचना [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 (1) देखें]

दिनांक 11.03.2024 की विलय योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच विलय के कारण, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण–अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, नीचे अनुसूची ए में उल्लिखित बंधक संपत्ति के संबंध में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सभी सरफेसी कार्रवाइयां, विलय की गई कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो गई हैं।

तदनुसार, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांक को एक मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें आप उधारकर्ताओं (नीचे उल्लिखित नाम और पते) से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को विशेष रूप से एतद्द्वारा उक्त संपत्ति से कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के अधीन होगा, जो कि यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के रूप में होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की तारीख और ओ/एस. राशि	अचल संपत्ति का विवरण (बंधक संपत्ति)	कब्जे की तारीख
1	1. श्री मुनिश कोहली पुत्र श्री जसवंत राय कोहली 2. श्रीमती सीमा कोहली पत्नी मुनिश कोहली लैन – ABND_STS000000584559 और ABND_STS000000753738	08–07–2026 और रु. 89,23,751/– 07.07.2026 तक	संपत्ति नं.–1 – वाणिज्यिक दुकान का वह समस्त भाग और पार्सल, जिसका नं. SH0003 है, भूतल पर स्थित है, जिसका सुपर एरिया 40.133 वर्ग मीटर अर्थात 432 वर्ग फीट है। यह "सुपरटेक अराविल" नामक परियोजना के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, सेक्टर 79, ग्राम नौरंगपुर, तहसील मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। संपत्ति नं.–2 – वाणिज्यिक दुकान का वह समस्त भाग और पार्सल, जिसका नं. SH0004 है, भूतल पर स्थित है, जिसका सुपर एरिया 40.133 वर्ग मीटर अर्थात 432 वर्ग फीट है। यह "सुपरटेक अराविल" नामक परियोजना के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, सेक्टर 79, ग्राम नौरंगपुर, तहसील मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।	24.09.2026 (प्रतीकात्मक)

दिनांक: 29.09.2026 स्थान: गुरुग्राम, हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

IndusInd Bank

एफआरआर ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110066

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, **इंडसइंड बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि को अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ता को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार, गारंटर और रेहनकर्ताओं द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार, गारंटर, रेहनकर्ताओं व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **भौतिक कब्जा** ले लिया है।

कर्जदार, गारंटर और रेहनकर्ताओं को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर वर्णित सम्पत्ति के साथ लेन–देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार/ गारंटर/ रेहनकर्ताओं के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस में राशि
मेसर्स जेन टेक इंजीनियर्स, श्री कुशल पाल सिंह, श्री उषा तोमर	आवासीय संपत्ति/भूखंड क्षेत्र पूर्व में 28 फीट, पश्चिम में 28 फीट, उत्तर में 41 फीट, दक्षिण में 41 फीट कुल क्षेत्रफल 1148 वर्ग फीट है अर्थात 106.69 वर्ग मीटर जिसमें खसरा संख्या 384एम का हिस्सा है, जो गांव परगना और तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमांकित के रूप में: पूर्वः श्रीमती राज बाला शर्मा की भूमि, उत्तरः सोराज गोयल की भूमि, पश्चिमः मार्ग 12 फीट चौड़ा, दक्षिणः श्रीमती तारा देवी की भूखंड	23.06.2026	25.09.2026	31.05.2026 को 72,14,471.64 रुपये (केवल बहत्तर लाख चौदह हजार चार सौ इकहत्तर रुपये तथा चौंसठ पैसे) के साथ 01.06.2026 से आगे के ब्याज जमा उस पर लागत, शुल्क और व्यय आदि।

तिथि: 26.09.2026 स्थान: रुड़की (उत्तराखंड) प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लि.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

एआरएमबी पूर्वी दिल्ली, मयूर विहार, फेज–II, पॉकेट–ई, दिल्ली–110091
ई–मेल: cs8075@pnb.bank.in

अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

दिनांक : 24–08–2026

सेवा में,
मैसर्स शांति ट्रेडिंग कंपनी स्वामी रमेश चंद शर्मा (दिवंगत), प्लैट नंबर 2, तृतीय तल, 1/27 ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर दिल्ली–92
कानूनी उत्तराधिकारी–श्री प्रभात शर्मा पुत्र स्व. रमेश चंद शर्मा (दिवंगत), मकान संख्या–30 गली संख्या–13, सरोजिनी पार्क, शास्त्री नगर, गांधी नगर पूर्वी दिल्ली–31
कानूनी उत्तराधिकारी– श्रीमती नीरू शर्मा पत्नी स्व. रमेश चंद शर्मा (दिवंगत), मकान संख्या–30 गली संख्या–13, सरोजिनी पार्क, शास्त्री नगर, गांधी नगर पूर्वी दिल्ली–31
विषय : वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13(2) के तहत सूचना
प्रिय महोदय/महोदया,
संदर्भ– खाता संख्या 00854011000517 और 00857121000057 मैसर्स शांति ट्रेडिंग कंपनी द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाएं।
आपके अनुरोध पर, आपको बैंक ने अपनी गांधी नगर दिल्ली शाखा के माध्यम से ऋण दिया है। आपने उक्त अनुबंध/दस्तावेज के अनुसार, इस वित्तीय सहायता को चुकाने के लिए एक वचनपत्र के साथ वित्तीय सहायता ली है।
2. आपने बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित करते हुए स्वामित्व विलेख/पंजीकृत बंधक जमा करके बंधक सृजन भी किया है। ऐसे बंधक से जुड़े दस्तावेज भी तालिका 'बी' में दिए गए हैं।
3. प्रतिभूत आस्तियों की विशिष्ट जानकारी तालिका 'सी' में विशेष रूप से दी गई है।
4. आपने समय–समय पर बकाया पुष्टि और पुनर्गठन पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करके उपरोक्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में देयता होना स्वीकार किया है। उपरोक्त वित्तीय सहायता/क्रेडिट सुविधाओं का प्रचालन और संचालन अनियमित हो गया है और आपके द्वारा मूल ऋण और उस पर ब्याज चुकाने में की गई चूक के कारण, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा आस्ति वर्गीरकरण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार 24.04.2024 को ऋण को अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
5. इसलिए, बैंक इस सूचना के माध्यम से इस अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपसे मांग करता है कि आप इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर बैंक के प्रति अपनी बताई गई देयता को पूरी तरह से चुका दें। दिनांक 31.07.2026 तक बैंकों की आपकी तरफ कुल बकाया देयता (कुल मिलाकर) रू. 2381922.52 (रुपये तेईस लाख इक्यासी हजार नौ सौ बाईस रुपये और बावन पैसे) हैं। आपको उपरोक्त राशि पर संविदा के अनुसार भविष्य में ब्याज भी देना होगा, साथ ही कुछ खर्चे, लागत शुल्क इत्यादि भी देने होंगे।
6. यदि आप बैंक को दिनांक 31.07.2026 तक बकाया उपरोक्त राशि रू. 2381922.52 (रुपये तेईस लाख इक्यासी हजार नौ सौ बाईस रुपये और बावन पैसे) के साथ इस सूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 13(2) के तहत ऊपर बताए गए अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्ययों, लागतों के साथ, चुकाने में असफल रहते हैं, तो बैंक धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा।
7. आपको यह भी सूचना दी जाती है कि धारा 13 की उप–धारा 13 के अनुसार, आप बैंक की लिखित सहमति लिए बिना इस सूचना की तालिका 'सी' में वर्णित प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री पट्टा या किसी और तरह से हस्तांतरित नहीं करेंगे।
8. हम आपका ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट करते हैं।
9. बैंक के पास यह अधिकार है कि वह आपसे आपकी ओर से जारी और स्थापित बकाया बिल डिस्काउंटेड, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ–साथ दूसरी आकस्मिक देनदारियों के तहत आने वाली देनदारियों को चुकाने की मांग कर सकता है।
यह सूचना बैंक के उस अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करती है जिससे वह कानून के किसी भी दूसरे लागू नियमों के तहत ज़रूरी समझे जाने वाले दूसरे एक्शन या कानूनी कार्रवाई शुरू कर सके।

तालिका "ए"
कर्जदार का नाम : मैसर्स शांति ट्रेडिंग कंपनी खाता संख्या– 00854011000517 और 00857121000057

सुविधा की प्रकृति	एनपीए की तिथि यानी 24–04–2024 तक बकाया राशि	31–07–2026 तक जोड़ा नहीं गया ब्याज	दंड ब्याज/ शुल्क	एनपीए की तिथि से 31–07–2026 तक वसूली	सूचना जारी करने की तिथि तक कुल बकाया राशि
नकद क्रेडिट।/ब–	रु. 2436521.14	रु. 704952.00	226291.72	1150534.00	2217230.86
जीईसीएल	रू. 84929.12	रु. 40573.80	59837.97	20649.23	164691.66
कुल राशि (रु.)	31.07.2026 तक ब्याज और शुल्क सहित रु. 2381922.52				

तालिका "बी"

क्र सं	दस्तावेज का नाम	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति
1	स्वत्वाधिकार विलेख	साम्यिक बंधक	संपत्ति संख्या 30, एल शेप, रेक्ट नंबर 39 का अंश, दो तरफ खुली, किला नंबर 15, सरोजिनी पार्क की आबादी, शास्त्री नगर, गांव–खुरेजी खास इलाका शहादरा दिल्ली–110031 में स्थित

तालिका "सी"
भाग–1
(चल संपत्तियों का दृष्टिबंधक)
बैंक वित्त से सृजित आस्तियां यानी स्टॉक, प्राप्यों के साथ–साथ संपूर्ण चालू और गैर–चालू आस्तियां (वर्तमान और भावी) का दृष्टिबंधक
भाग–2
(अचल संपत्तियों का साम्यिक बंधक)
(संपत्ति मकान नंबर–30, एल शेप, दो तरफ खुला, रेक्ट नंबर 39, किला नंबर 15, आबादी सरोजिनी पार्क, शास्त्री नगर, ग्राम खुरेजी खास इलाका शहादरा दिल्ली–110031) रमेश शर्मा पुत्र श्री गंगा प्रसाद शर्मा के नाम पर।
उत्तर की ओर... शेष भाग — दक्षिण की ओर... 20 फीट चौड़ी सड़क
पूर्व में... सड़क 15 फीट — पश्चिम की ओर... शेष भाग
आपसे अनुरोध है कि आप अपनी गारंटी के निबन्धनों में सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करें।
रुपूर्ववर्ती 13(2) सूचना दिनांकित 01.05.2024 तत्काल प्रभाव से वापस ली गई
प्रतिलिपिः– श्री कमल शर्मा, पुत्र श्री गंगा प्रसाद शर्मा (गारंटर)
आपकी गारंटी लागू कर दी गई है और सभी बकाया भुगतान करने की मांग की जाती है।
रुपूर्ववर्ती 13(2) सूचना दिनांकित 01.05.2024 तत्काल प्रभाव से वापस ली गई

दिनांक : 20–08–2026, पंजाब नैशनल बैंक
स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय, इटावा | NIT No. Dt.25.09.2026 | REGIONAL OFFICE ETAWAH

–: परिसर के लिये निविदाओं का आमंत्रण :–

सैंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया की शाखा के लिए ऐसे नए परिसर की आवश्यकता है जो 3 माह के भीतर उपयोग में लाया जा सके। नवीन परिसर भूतल पर स्थित हो, जिसमे 440 वोल्ट, 3–फेज, 10–20 KVA की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो। साथ ही परिसर के साथ पर्याप्त पार्किंग सुविधा होना अति आवश्यक है। वांछित परिसर का पता एवं कुल कार्पेट एरिया कुछ इस प्रकार होना चाहिए।

क्र.सं.	शाखा का नाम	पता	वांछित परिसर कुल कार्पेट एरिया
1	ए.पी.एम. औरैया	नवीन गल्ला मंडी औरैया, ज़िला औरैया उत्तर प्रदेश-206122	कुल कार्पेट एरिया 83.61 से 120.77 वर्ग मीटर (900 से 1300 वर्ग फुट) का होना चाहिए।

सरकारी, अर्धसरकारी, व सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रोकर और मध्यस्थो के प्रस्तावों पर विचार नही किया जाएगा। निबन्धन और शर्तों की अधिक जानकारी, हमारी वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in से डाउनलोड करें अथवा किसी भी कार्य दिवस मे सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से व क्षेत्रीय कार्यालय: इटावा, नई मंडी फर्रूखाबाद रोड मंडी गेट नं0 01, पिन कोड: 206001 से प्राप्त कर सकते है। सभी प्रस्ताव रुपये 3000.00 के डिमांड ड्राफ्ट (रिफंडेबल) के साथ दिनांक 24-10-2026 को 04:00 सायं बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे। बैंक किसी भी निविदा अथवा सभी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक: 25-09-2026 क्षेत्रीय प्रमुख
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय-इटावा

इंडियन बैंक Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

इंडियन बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के एक अग्रणी बैंक ने एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्लेटफॉर्म की आपूर्ति, कार्यान्वयन, एकीकरण और रखरखाव के लिए आरएफपी जारी किया है।

इच्छुक पार्टियाँ विस्तृत विवरण हेतु कृपया बैंक की वेबसाइट: https://www.indianbank.bank.in/tenders/ और GeM पोर्टल देखें।

"FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act
[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar of Companies that **Shri Om Kripa Prabandh Samiti** may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a Section 8 Company, limited by guarantee.

2. The **Principal objects** of the society /proposed Company are as follows:-

a. To make efforts for the overall social, cultural, educational, intellectual, creative and artistic development of the public.

b. To establish charitable dispensaries for the weaker, orphaned and destitute sections of society, provide treatment facilities to them, and motivate people for blood donation so that blood is made available in time for persons in need and lives can be saved.

c. To promote and spread education within the area of operation of the organisation and, for the continuous development of education, to establish and operate schools/colleges for boys and girls from the nursery and Montessori levels up to primary, junior high school, high school, intermediate, graduation and post-graduation levels, in the names of schools/colleges. To establish and operate schools/colleges following the patterns of U.P. Board, CBSE and ICSE.

d. To establish and operate training centres within the area of operation of the organisation for sewing, embroidery, weaving, painting, typing, shorthand, computer training, tailoring, weaving, radio, watch, TV training centres, and training centres for other electronic equipment, etc.

e. In the institution's area of work, to obtain and operate the programmes of the Women and Child Development Department, Ministry of Human Resource Development, and the Ministry of Welfare, Government of India.

f. To operate all urban and rural sanitation programmes in the institution's area of work.

g. In the area of work, to provide safe drinking water; to obtain and operate the schemes and programmes of the National Horticulture and Garden Department; and to run programmes on tree plantation, pollution control, vaccination, population control, AIDS control, TB control and awareness, de-addiction, and publicity for eye camps.

h. To operate Anganwadi, Balwadi and adult education programmes, and to run awareness programmes for water conservation and water harvesting.

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at **M.I.G.-220, Kailash Vihar, Awas Vikas No.-1, Kalyanpur, Kanpur Nagar – 209217**

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the society at its registered office.

Dated this 25th September of 2026.

For Shri Om Kripa Prabandh Samiti
Sd/
(Vimlesh Kumar)
President

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम — **A Government of India Undertaking**

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ: उत्तर यूनियन बैंक भवन, मंत्री आवास के पास, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
टेलीफोन नंबर: (0522)– 2306915, 2305900, ई– मेल: law.rolucknow@unionbankofindia.bank

मेगा ई–नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत)

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन), 2002 के नियम 8(6)/9(1) के परन्तुक सपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

सर्वसाधारण को विशेषकर ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां, जो प्रतिभूति के रूप में हमारे बैंक के पास दृष्टिबंधक / बंधक है जिसका **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** यूनियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय दिनांक **13.10.2026** (समय: अपरान्ह: 12 बजे से सायं 05 बजे तक) को होने वाली ई–नीलामी में **"जहाँ है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के"** आधार पर नीचे वर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों से सम्बन्धित उनकी देनदारी की वसूली के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के द्वारा किया जायेगा। आरक्षित मूल्य एवं ई.एम.डी. राशि का विवरण निम्नानुसार है।

ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से वेबसाइट: https://baanknet.com
नीलामी की तिथि व समय: 13.10.2026, समय: अपरान्ह: 12 बजे से सायं 05:00 बजे (10 मिनट के असीमित अतिरिक्त समय सहित)

क्र. सं.	1. ऋणी का नाम 2. जमानतदार का नाम 3. शाखा	ई–नीलामी हेतु सम्पत्ति का विवरण	1. आरक्षित धनराशि 2. ई.एम.डी. 3. बढ़ी हुई धनराशि	1. शाखा प्रमुख/सम्पर्क 2. प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क सूत्र 3. प्राधिकृत अधिकारी की ई–मेल आईडी 4. सीएम (वसूली)/सम्पर्क	ब्याज एवं अन्य खर्च के साथ बकाया धनराशि	भार का विवरण: सांकेतिक/भौतिक कब्जा / लंबित मुकदमे का विवरण
1.	मेसर्स शाश्वतमास मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 1ए. श्री कृष्ण मोहन मिश्रा पुत्र श्री लालता प्रसाद 1बी. सुश्री सीमा मिश्रा पत्नी कृष्ण मोहन मिश्रा (खाता मेसर्स शाश्वतमास मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक एवं जमानतकर्ता) 2ए. श्री कृष्ण मोहन मिश्र पुत्र श्री लालता प्रसाद 2बी. सुश्री सीमा मिश्रा पत्नी कृष्ण मोहन मिश्रा 3. इंदिरा नगर शाखा (05672)	श्री कृष्ण मोहन मिश्रा पुत्र श्री लालता प्रसाद के स्वामित्व में आवासीय भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक, एक किता प्लॉट संख्या 165, खसरा संख्या 26स का मिन जुमला, ग्राम–मोहम्मदपुर खत्री, वार्ड–शंकरपुरवा, तहसील एवं जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 123.61 वर्ग मीटर या 1330 वर्ग फीट, **चौहद्दी: पूर्वः** प्लॉट संख्या 127 का भाग, **पश्चिमः** 18 फीट चौड़ा रास्ता, **उत्तरः** प्लॉट संख्या 165 का शेष भाग, **दक्षिणः** प्लॉट संख्या 166	1. रू. 40.00 लाख 2. रू. 4,00,000/– 3. रू. 40,000/–	1. सुनील कुमार/ 7800003590 2.आकाश चन्द्र/ 9621238076 3. ubin0905674@unionbankofindia.bank.in 4. श्री एसपी कोरी/ 9140873068	**रू. 37,65,803.86** (रुपये सैंतीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ तीन एवं पैसा छियासी मात्र) दिनांक 01.09.2025 से ब्याज एवं लागत (मांग सूचना की तिथि 26.09.2025) मांग सूचना की तिथि के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / सांकेतिक कब्जा / प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं
2.	1). श्रीमती बबीता देवी पत्नी स्वर्गीय विजय शंकर 2. शून्य 3. इंदिरानगर शाखा	श्रीमती बबीता देवी पत्नी स्वर्गीय विजय शंकर के सवमित्व में भूमि व भवन का साम्यिक बंधक स्थित मकान संख्या 555 के.ए./एल–12/7, 8/के.एन. 1740, प्लॉट संख्या 7 एवं 8 के प्लॉट के भाग पर निर्मित, खसरा संख्या 1740 मिन जुमला, कनौसी वार्ड, केसरी खेड़ा, परगना एवं तहसील लखनऊ, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 815.00 वर्ग फीट या 75.74 वर्ग मीटर, **चौहद्दी: पूर्वः** महावीर का मकान; **पश्चिमः** 18.00 फीट चौड़ी सड़क; **उत्तरः** दीप्ति श्रीवास्तव का मकान; **दक्षिणः** सत्य प्रकाश का मकान	1. रू. 32,60,000/– 2. रू. 3,26,000/– 3. रू. 32,600/–	1. आकाश चन्द्र/ 9621238076 2. आकाश चन्द्र/ 9621238076 3. ubin0552267@unionbankofindia.bank.in 4. श्री एसपी कोरी/ 9140873068	**रू. 27,67,417.75** (रुपये सत्ताईस लाख सरसठ हजार चार सौ सत्रह मात्र) सहित दिनांक 30.11.2025 से संविदात्मक दर पर ब्याज, एवं लागत यदि कोई हो (मांग सूचना की तिथि 02.12.2025) मांग सूचना की तिथि के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / सांकेतिक कब्जा / प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं
3.	1)ए. मेसर्स मारुति इंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर विजय कुमार अग्रवाल पुत्र गोविंद प्रसाद 1.बी. श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र गोविंद प्रसाद 2(ए). श्रीमती निशा अग्रवाल पत्नी श्री विजय कुमार अग्रवाल 2(बी). श्रीमती निकुंज अग्रवाल पत्नी संजीव अग्रवाल 3). भिटौली शाखा (152021)	सुश्री निशा अग्रवाल और सुश्री निकुंज अग्रवाल के स्वामित्व में प्लॉट संख्या 72ए एवं 72बी पर मकान, **क्षेत्रफल 167.286 वर्ग मीटर यानी 1800 वर्ग फीट**, खसरा संख्या 351 एवं 352, मोहिबुल्लापुर, फैजुल्लागंज वार्ड, लखनऊ, **चौहद्दी: पूर्वः** 25 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिमः** प्लॉट संख्या 71, **उत्तरः** प्लॉट संख्या 73 पर निर्मित मकान, **दक्षिणः** 25 फीट चौड़ा	1. रू. 64.76 लाख 2. रू. 6,47,600/– 3. रू. 64,760/–	1. आरडी गौतम 7052557766 2. पूजा चक्का 9140091597 3. Ubin0915203@unionbankofindia.bank.in 4. श्री एसपी कोरी/ 9140873068	**रू. 12,54,505.11** (रुपये बारह लाख चौवन हजार पांच सौ पांच और पैसा ग्यारह मात्र) दिनांक 01.06.2023 से संविदात्मक ब्याज दर पर ब्याज एवं लागत (मांग सूचना की तिथि 07.08.2023 मांग सूचना की तिथि के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / सांकेतिक कब्जा / प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं
4.	1. ऋणी: 1ए. श्री शैलेन्द्र तिवारी पुत्र श्री राम कृपाल तिवारी 1बी. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राम कृपाल तिवारी 1सी. श्री राकेश कुमार तिवारी पुत्र श्री राम कृपाल तिवारी 1डी. श्री राम कृपाल तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम लाल तिवारी 2. जमानतकर्ता: 2ए. श्री निखिल निगम 3. सेक्टर ओ अलीगंज शाखा (56890)	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राम कृपाल तिवारी एवं श्री राम कृपाल तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम लाल तिवारी के स्वामित्व में साम्यिक बंधक, आवासीय मकान संख्या ई–4/195/एम, सेक्टर एम, अलीगंज योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **क्षेत्रफल 38.70 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्वः** मकान संख्या 194, **पश्चिमः** मकान संख्या 196, **उत्तरः** 15.00 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** मकान संख्या 170	1. रू. 27,38,000/– 2. रू. 2,73,800/– 3. रू. 27,380/–	1. श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा/ 8901189003 2. राम शरण दास/ 9300857626 3. ubin0556891@unionbankofindia.bank.in 4. श्री एसपी कोरी/ 9140873068	**रू. 29,97,104.38** (रुपये उन्तीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ चार एवं पैसा अड़तीस मात्र) दिनांक 30.04.2025 तक	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / सांकेतिक कब्जा / प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट **www.unionbankofindia.co.in** और **https://baanknet.com** में दिए गए लिंक को देखें। पंजीकरण, ईएमडी भुगतान एवं बोली प्रक्रिया के लिए, वेबसाइट **https://baanknet.com** पर जाएं। (क्रेता पंजीकरण–लिंक वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है)
ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं के पास वैध ई–मेल आईडी और सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार बिक्री के नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

Security Interest (Enforcement) Rule 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के अन्तर्गत 15 दिन की बिक्री सूचना

इसे **Security Interest (Enforcement) Rule:** 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के अन्तर्गत उक्त तिथि को की जा रही ई– नीलामी / बिक्री के सम्बन्ध में उक्त ऋण के बकाया राशि वाले ऋणियों / जमानतकर्ताओं को जारी किया हुआ नोटिस भी माना जाये।

स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
तमिल संगम बिल्डिंग, तमिल संगम मार्ग, सेक्टर–5, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110022
मोब–9266843886 ई–मेल: rondelrec@canarabank.com

सेवा में,
नीचे तालिका में वर्णित कर्जदारगण
विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना
नीचे वर्णित कर्जदारों ने केनरा बैंक से नीचे वर्णित ऋण/क्रेडिट सुविधाएं ली हैं।

अनुसूची

| सीमा | | नाम और खाता संख्या | स्वीकृति तिथि | एनपीए तिथि | मूल देयता (रु.) | ब